न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री सावन कुमार चायल, आर.ए.एस.

वाद पत्र संख्याः 110/2017

दर्ज दिनांक :26/07/2017

निर्णय दिनांक : 19/12/2017

प्रहलाद पुत्र रायचन्द जाति जाट, निवासीः भोजपुरा, तहसील फागी, जिला जयपुर।

--वादी

बनाम

तहसीलदार फागी, तहसील फागी, जिला जयपुर।

-- प्रतिवादी

<u>वाद बाबत घोषणा व इन्द्राज दुरुस्ती</u>

उपस्थितः

श्री उदयसिंह चौधरी एडवोकेट

श्री बलविन्द्र सिंह चौधरी एडवोकेटे

विद्वान अधिवक्ता वादी

प्रतिवादी की ओर से पैरोकार राज0 उप0।

उपखण्ड अधिकारी, फागी जिला-जयपुर

निर्णय दिनांकः 19/12/2017

-: निर्णय :-

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने वाद बाबत घोषणा व दुरुस्ती इन्द्राज न्यायालय के समक्ष इस आशय का पेश किया कि जमाबंदी संवत् 2070 से 2073 के खाता संख्या 139 के आराजी खसरा नंबर 600 रकबा 01 बीघा बारानी-ए व खसरा नंबर 1018/599 रकबा 12 बिस्वा कुल किता 02 कुल रकबा 01 बीघा 12 बिस्वा वाके ग्राम भोजपुरा, तहसील फागी, जिला जयपुर में स्थित है जिसका वादी एकमात्र काबिज काश्त एवं खातेदार काश्तकार है। आराजी वादी की क्रयशुदा आराजी है। वादी के पिता का सही एवं वास्तविक नाम रायचन्द है लेकिन त्रुटि से वादी के पिता का नाम रायचन्द के स्थान पर रामचन्द्र दर्ज कर दिया गया

उपखण्ड अधिकारी फागी (जयपुर)

जो कि गलत रूप से इन्द्राज कर दिया गया जो काबिले दुरूस्तनीय है। वादी के आधारकार्ड में वादी के पिता का नाम रायचन्द दर्ज है जिससे भी साबित है कि वादी के पिता का सही एवं वास्तविक नाम रायचन्द ही है लेकिन जो इन्द्राज उक्त खाते में रामचन्द्र का किया गया है वह सहवन से किया गया है। वादी के नाम अन्य खाता सख्या 140 में वादी के पिता का सही नाम रायचन्द दर्ज है जिससे भी साबित है कि जो इन्द्राज उक्त खाते में रामचन्द्र का किया गया है वह सहवन से किया गया है एवं काबिले दुरूस्ती है। वादी ने अभी हाल ही में किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने हेतु जमाबंदी की नकल दिनांक 27.06.2017 को प्राप्त की तो उक्त गलत इन्द्राज की जानकारी हुई इस पर वादी ने तहसीलदार एवं पटवार हल्का ने दुरूस्ती इन्द्राज करने से इंकार कर दिया जिससे वादी को वाद पत्र विरूद्व प्रतिवादी बाबत घोषणा दुरूस्ती इन्द्राज पेश किया जाना आवश्यक हुआ है।

वादी ने दावा के अन्य बिन्दुओ के साथ वाद कारण अंकित कर अनुतोष चाहा है कि वादी वाद विरूद्व प्रतिवादी डिक्री किया जाकर घोषणा दुरूस्ती इन्द्राज इस आशय का किया जावे कि वाद पत्र में वर्णित आराजीयात में दर्ज वादी के पिता का नाम रामचन्द्र हजफ किया जाकर उसके स्थान पर रायचन्द दर्ज किया जाने के आदेश प्रदान करावे। डिक्री की पालनार्थ तहसीलदार तहसील फागी, जिला जयपुर को लिखा जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी प्रतिवादी जारी की गई। प्रतिवादी की ओर से पैरोकार राज0 ने जवाब प्रस्तुत किया, शामिल पत्रावली किया गया। वकील वादी ने प्रार्थना पत्र आदेश 6 नियम 17 सी.पी.सी. पेश किया, शामिल पत्रावली किया गया। प्रार्थना पत्र बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया। बाद मनन प्रार्थना पत्र आदेश 6 नियम 17 सी.पी.सी स्वीकार किया जाकर वाद पत्र में लाल स्याही से अंकन के आदेश प्रदान किये गये। वकील वादी ने साक्ष्य में पी.डब्ल्यू–1 प्रहलाद पुत्र रायचन्द, पी.डब्ल्यू–2 छोटूराम के शपथ पत्र पेश किये, शामिल पत्रावली किये गये।

उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)

बहस सुनी गई।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध जमाबंदी, फोटोप्रति आधारकार्ड, जवाब तहसीलदार फागी, शपथ पत्र पी.डब्ल्यू–1 प्रहलाद पुत्र रायचन्द, पी.डब्ल्यू–2 छोटूराम इत्यादि का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन यह पाया गया कि वादग्रस्त आराजीयात के राजस्व रिकॉर्ड में वादी के पिता का नाम रामचन्द्र दर्ज रिकॉर्ड है।

वादी ने वाद प्रस्तुत कर वादग्रस्त आराजीयात के राजस्व रिकॉर्ड मे अपने पिता का नामं रामचन्द्र के स्थान पर रायचन्द दर्ज करवाना चाहा है।

वादी के अनुतोष पर मनन किया गया। बाद मनन यह पाया गया कि पत्रावली में उपलब्ध फोटो प्रति आधारकार्ड में वादी के पिता का नाम रायचन्द अंकित है। गवाह पी.डब्ल्यू–2 छोटूराम ने अपने शपथ पत्र में वादी के पिता का सही व वास्तविक नाम रायचन्द बताया है।

प्रकरण के संपूर्ण तथ्यो पर गौर व मनन करने एवं पत्रावली के समस्त दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन करने पर मेरे द्वारा वादी वाद स्वीकार कर वादग्रस्त आराजीयात के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज इन्द्राज रामचन्द्र को हजफ कर इसके स्थान पर रायचन्द दर्ज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः वादी वाद स्वीकार कर डिक्री किया खसरा नंबर 600 रकबा 01 बीघा, खसरा नंबर 1018/599 रकबा 12 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 01 बीघा 12 बिस्वा ग्राम भोजपुरा, तहसील फागी, जिला जयपुर के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज इन्द्राज रामचन्द्र को हजफ कर इसके स्थान पर रायचन्द दर्ज किया जाता है। तहसीलदार फागी को निर्देशित किया जाता है कि निर्णयानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करे। खर्चा मुकदमा वादी स्वयं वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 19/12/2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

मुद्रा

उपखण्ड अधिकारी
फागी

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ.20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत–उपखण्ड अधिकारी फागी (जयपुर)

बइजलास–सावन कुमार चायल (आर.ए.एस.)

उनवान

प्रहलाद पुत्र रायचन्द

बनाम

तहसीलदार फागी

::– वाद घोषणा व दुरूस्ती इन्द्राज ::–

मुकदमा नं0 – 110/2017

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू वकील वादी हाजिरी रूबरू प्रतिवादी मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी वाद स्वीकार कर डिक्री किया खसरा नंबर 600 रकबा 01 बीघा, खसरा नंबर 1018/599 रकबा 12 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 01 बीघा 12 बिस्वा ग्राम भोजपुरा, तहसील फागी, जिला जयपुर के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज इन्द्राज रामचन्द्र को हजफ कर इसके स्थान पर रायचन्द दर्ज किया जाता है। तहसीलदार फागी को निर्देशित किया जाता है कि निर्णयानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करे। खर्चा मुकदमा वादी स्वयं वहन करे।

निज.......—.......मुबलिग.......—.......बाबत.......—.......
खर्चा इस मुकदमें के मय सूद बशरह.......—.......फीसदी.....—.....सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक.......—.......का अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 19/12/2017 को जारी की गई।

दस्तखत........ उपखण्ड अधिकारी

मुहर

ओहदा........ फागी (जयपुर)

मुदई	रूपये	पैसे	मुदायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	—Nil—		फीस कमीश्नर	—Nil—	
फीस कमीश्नर			बबत इजराय हुक्मनामा		
बबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

उपखण्ड अधिकारी
फागी

उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)